

1.	योजना का नाम	कोढ़ पीडित/निःशक्त माता-पिता के अध्ययनरत बच्चों हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	उक्त योजना में कोढ़ पीडित/निःशक्त माता-पिता के अध्ययनरत बच्चों हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 1997
4.	लाभान्वित वर्ग	कोढ़ पीडित/निःशक्त माता-पिता के अध्ययनरत बच्चे
5.	पात्रता	<p>योजनान्तर्गत वे विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं, जो निम्न वर्ग से हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. माता-पिता दोनों कोढ़ से पीडित हों या 2. माता-पिता दोनों विकलांग हों (शारीरिक-मानसिक विकलांग परिभाषा के अन्तर्गत) या 3. माता/पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो गई हो तथा दूसरा कुष्ठ रोगी/विकलांग हो या 4. माता/पिता में से किसी एक में 80 प्रतिशत विकलांगता हो 5. जो मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत हों, 6. जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 40,000 रुपये से अधिक न हो, 7. जिसे किसी केन्द्रीय/राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति/भत्ता नहीं मिल रहा हो, 8. जो विभाग द्वारा संचालित/अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो, 9. छात्र जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी, किन्तु उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेने पर छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी, इसके लिए उसे नूतन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा।

6.	देय सुविधाएं	<p>1. योजनान्तर्गत वर्तमान में निम्नलिखित दरों से विद्यालय/ महाविद्यालय में प्रवेश माह से परीक्षा समाप्त होने तक अधिकतम 10 माह के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का प्रावधान है :-</p> <table border="1" data-bbox="743 416 1445 786"> <thead> <tr> <th>कक्षा</th> <th>दर प्रतिमाह</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 से 4 तक</td> <td>40 रुपये</td> </tr> <tr> <td>5 से 8 तक</td> <td>50 रुपये</td> </tr> <tr> <td>9 से 12 तक</td> <td>85 रुपये</td> </tr> <tr> <td>स्नातक</td> <td>125 रुपये</td> </tr> <tr> <td>स्नात्कोत्तर एवं बी.एड. डिप्लोमा व अन्य उच्च शिक्षा</td> <td>170 रुपये</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. छात्रवृत्ति उस माह के लिए देय नहीं होगी, जिस माह में स्कूल 20 तारीख के बाद आरम्भ होगा या छात्र 20 तारीख के बाद स्कूल में प्रवेशित होगा।</p> <p>3. विद्यार्थी के शिक्षा सत्र के बीच में ही अध्ययन छोड़ देने पर उपस्थिति अवधि तक की छात्रवृत्ति देय है।</p> <p>4. अस्वस्थता के कारण अनुपस्थित रहने पर अधिकतम 3 माह की अनुपस्थिति के लिए राजकीय चिकित्सालय या संस्था प्रधान के प्रमाण पत्र के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा सकेगी, इससे अधिक अनुपस्थिति (चाहे कारण कुछ भी हो) पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।</p>	कक्षा	दर प्रतिमाह	1 से 4 तक	40 रुपये	5 से 8 तक	50 रुपये	9 से 12 तक	85 रुपये	स्नातक	125 रुपये	स्नात्कोत्तर एवं बी.एड. डिप्लोमा व अन्य उच्च शिक्षा	170 रुपये
कक्षा	दर प्रतिमाह													
1 से 4 तक	40 रुपये													
5 से 8 तक	50 रुपये													
9 से 12 तक	85 रुपये													
स्नातक	125 रुपये													
स्नात्कोत्तर एवं बी.एड. डिप्लोमा व अन्य उच्च शिक्षा	170 रुपये													
7.	आवेदन का तरीका	निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना।												
8.	आवेदन कहाँ किया जावे	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सम्बन्धित जिला अधिकारी												
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<p>आवेदन के साथ निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> माता-पिता के कुष्ठ रोगी/विकलांग होने का प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/ प्राचार्य द्वारा अन्य स्रोतों से छात्रवृत्ति प्राप्त न होने का प्रमाण पत्र 												
10.	सम्पर्क सूत्र	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सम्बन्धित जिला अधिकारी												

